आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

हकसफा वाद सं0–01/2012

छठ्ठू सिंह – अपीलार्थी

वनाम

चलित्तर महतों एवं अन्य – उत्तरवादी

आदेश

9.2.13 अपीलार्थी छठ्ठू सिंह पे0 स्व0 बच्चा सिंह ग्राम–दामोदरपुर बराही, थाना–सोनवर्षा राज, जिला–सहरसा ने चलितर महतों पे0 स्व0 सिधेश्वर महतो, ग्राम–बोविल, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया एवं अन्य 4 (चार) को उत्तरवादी बनाते हुए विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा हकसफा वाद सं0–01/11–12 में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित व्यौरे की भूमि पर यह अपील वाद लाया है :–

मौजा	तौजी नं0	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा वी0 क0 धू0 धूर0
बोबिल	7752	138	453	195	02– 02– 00– 00
			441	194	
			464	196	
				193	

चौहददी उ0 – वाल्मिकी प्र0 सिंह एवं दत्ता सिंह
द0 – चलितर महतो (खरीददार)
पू0 – कच्ची सड़क
प0 – लखन प्र0 सिंह एवं दत्ता सिंह

अपीलार्थी ने भूमि सूधार उप समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–27.12.2011 द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यगत दोनों रूप से खारिज योग्य बताया है। अपीलार्थी द्वारा दायर आपत्ति आवेदन की कंडिका–7 में वर्णित तथ्यों को पूर्णतः अनदेखी करते हुए एवं उस बिन्दु पर ऑख मूंद कर आदेश पारित कर दिया जो पूर्णतः नैसर्गिक न्याय के विपरित है। उनका कहना है कि वे आपस में तीन भाई थे जिन्हें पूर्व में मात्र 3वी0 10क0 मौजा बोबिल के अंतर्गत खेसरा सं0–197, 186 तथा 180 की जमीन थी जिसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है तत्पश्चात अपीलार्थी भूमिहीन हो गया है। उनका यह भी कहना है कि वाद ग्रस्त भूमि उन्होंने अपने मेहनत से दिनांक–04.01.2011 को खरीद किया है। इस जमीन के अतिरिक्त और अन्य कोई जमीन नहीं है। अगर विपक्षी प्रथम पक्ष को चौहद्दीदार के रूप में दे दी जाती है तो अपीलार्थी पुनः भूमिहीन हो जायगा। इस संबंध में उन्होंने अपने आवेदन पत्र में माननीय उच्च न्यायालय पटना के एक नियमन का भी उल्लेख किया है जिसे PLJR 2011 (2) के पृष्ठ सं0–107 में प्रकशित बताया है जिसमें भूमिहीन के विरुद्व हकसफा का दावा विधि मान्य नहीं है

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

इसके आधार पर भी निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज योग्य बताया है।

अपीलार्थी ने आगे कहा है कि हकसफा का दावा अत्यंत कमजोर दावा माना गया है तथा हकसफा आवेदन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो हकसफा का दावा खारिज हो जायगा। इस वाद में एल0सी0 फार्म–13 में प्रश्नगत जमीन का कुल तीन खाता ही दर्शाया गया है। जमीन प्रश्नगत केवाला में कुल 4 खाता दर्ज है। इसलिए केवल इस त्रुटि के कारण निम्न न्यायालय का आदेश खारिज योग्य है।

अंत में अपीलार्थी ने अपने को भूमिहीन कहते हुए इसी आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अपीलार्थी द्वारा भूमिहीन होने का प्रमाण पत्र तथा उनके अपील आवेदन पत्र में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय का नियमन संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उत्तरवादी चलित्तर महतो ने प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए कहा है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश वैध है जो मजबूत साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है। भू हदबंदी अधिनियम की धारा 16 (3) एवं नियम 19 का अक्षरशः पालन करते हुए हकसफा वाद सं0–01/11–12 उनके द्वारा दाखिल किया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि PLJR 2011 (2) के पृष्ठ सं0–1070 का उद्वरण देकर उन्होंने भूमिहीन होने के आड़ पर हकसफा वाद से मुक्त होना चाहते है परंतु ये भूमिहीन नहीं है जिसके समर्थन में उन्होंने उनके द्वारा धारित जमावंदी संख्या का उल्लेख करते हुए जमीन का व्यौरा दिया है, इस संबंध में उन्होंने प्रतिउत्तर में वंशावली भी दर्शाया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का भी अवलोकन किया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा हकसफा वाद सं0–01/11–12 दिनांक–27.12.2011 में पारित आदेश का भी अवलोकन किया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि :–

1. प्रतिवादी सं0–1 अर्थात इस अपील वाद के अपीलार्थी जो प्रश्नगत जमीन केवाला डीड सं0–490 दिनांक–04.02.2011 द्वारा क्रय किये जमीन के दक्षिणी चौहद्दी में आवेदक अर्थात इस अपील वाद के उत्तरवादी सं0–1 चलितर महतो है। अतः आवेदक अर्थात इस वाद के उत्तरवादी सं0–1 चौहद्दीदार होने के नाते प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जाना सही प्रतीत होता है।
2. आवेदक अर्थात उत्तरवादी सं0–1 चलितर महतो द्वारा केवाला डीड सं0–3337 दिनांक–01.01.2008 द्वारा क्रय किये जमीन से भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत विवादित जमीन का दक्षिणी चौहद्दी में पड़ता है जो सही है।
3. आवेदक अर्थात उत्तरवादी सं0–1 द्वारा प्रश्नगत जमीन की कीमत कोषागार चलान द्वारा जमा किया गया है जिसमें 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सन्निहित है।
4. आवेदक द्वारा एल0सी0 फार्म–13 जमा किया गया है।

उपर्युक्त तथ्य के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी ने अपीलार्थी का दावा सही नहीं मानते हुए उत्तरवादी का आवेदन पत्र स्वीकृत करते हुए

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

अपीलार्थी को प्रश्नगत जमीन उत्तरवादी चलितर महतो के पक्ष में हस्तान्तरित करने का आदेश पारित किया है।

उपर्युक्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा तथ्य के आधार पर पारित आदेश का विश्लेषण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा हकसफा वाद सं0–01/11–12 में पारित आदेश सही प्रतीत होता है। इसलिए इसे बहाल रखा जाता है। अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।